ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION
(A STATUTORY BODY OF THE GOVERNMENT OF INDIA)
Nelson Mandela Marg, Vasant Kunj, New Delhi – 110070
Ph. No.: 011-29581050, 011-29581515
Website: www.aicte-india.org

PUBLIC NOTICE OF FACILITATION CENTRES FOR GENERAL DEGREE COLLEGES RUNNING BBA/BMS and BCA PROGRAMMES/COURSES.

As per the provisions envisaged in Approval Process Handbook 2024-27, all institutions/Institutions Deemed to be Universities offering the Programmes BBA/BMS/BCA need to seek approval from AICTE. In order to facilitate the existing institutions running BBA/BCA/BMS Programmes to submit the online applications seeking approval, the Council has setup 100 facilitation centres across the Country to convene an Application Submission Camp. The list of facilitation centres, contact details, the schedule of camp and the list of documents to be furnished at facilitation centres for successful submission of applications are available at ***www.aicte-india.org (link-https://aicte-india.org/sites/default/files/Approval_Facilitation_Centre.pdf).*** All institutions /Institutions Deemed to be Universities are requested to avail this facility so as to enable us to complete the process on time.

For this the stakeholders as mentioned can also visit the webpage of AICTE portal ***(link-https://www.aicte-india.org/bureaus/approval/approal-process-2024-25)*** which is dedicated for providing guidelines to fill the form; information on the benefits in the form of schemes/programs they can avail on getting AICTE Approval,etc.

** Central Universities/ State (Public/Private) Universities need not to take AICTE Approval, but if they intend to take the benefit of AICTE Schemes/Program, AICTE approval is required.

Prof. RAJIVE KUMAR
Member Secretary

Advt. No: Regulation Bureau/AICTE/02(01)/2024

12x18 Cms

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्

(भारत सरकार का संवैधानिक निकाय)
नेल्सन मंडेला मार्ग, वसंत कुंज, नई दिल्ली - **110070**
फोन नंबर : **011-29581050, 011-29581515**

सार्वजनिक सूचना : बीबीए/बीएमएस और बीसीए कार्यक्रम/पाठ्यक्रम संचालित करने वाले सामान्य डिग्री महाविद्यालयों के लिए सुविधा केंद्रों के संबंध में।

अनुमोदन प्रक्रिया पुस्तिका 2024–27 में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार, बीबीए/बीएमएस/बीसीए कार्यक्रम संचालित करने वाले सभी संस्थानों/मानित विश्वविद्यालय संस्थानों द्वारा अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक है। बीबीए/बीसीए/बीएमएस कार्यक्रम संचालित करने वाले विद्यमान संस्थानों को अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करने के लिए ऑनलाइन आवेदन जमा करने में सहायता देने की सुविधा प्रदान करने के लिए, परिषद ने ''आवेदन जमा करने हेतु शिविर'' आयोजित करने के लिए देश भर में 100 सुविधा केंद्र स्थापित किए हैं। सुविधा केंद्रों की सूची, संपर्क विवरण, शिविर की तिथियाँ और आवेदनों को सफलतापूर्वक जमा करने के लिए सुविधा केंद्रों पर प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सूची *www.aicte-india.org* (लिंक-***https://aicte-india.org/sites/default/files/Approval_Facilitation_Centre.pdf***) पर उपलब्ध है। सभी संस्थाओं/मानित विश्वविद्यालय संस्थाओं से अनुरोध है कि वे अभातशिप की इस सुविधा का लाभ उठाएं ताकि परिषद द्वारा समय पर यह प्रक्रिया पूरी की जा सके।

इसके लिए सभी हितधारक विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार अभातशिप पोर्टल (लिंक-***https://www.aicte-india.org/bureaus/approval/approal-process-2024-25***) देख सकते हैं जोकि आवेदन प्रपत्र (फॉर्म) भरने के लिए दिशानिर्देश प्रदान करने के लिए बनाया गया है/हितधारको द्वारा अभातशिप से अनुमोदन प्राप्त करने पर अभातशिप द्वारा योजनाआ/कार्यक्रमों के रूप में प्रदान किए जाने वाले लाभों को लेने के संबंध में जानकारी अभातशिप के इस पोर्टल पर देखी जा सकती है।

''केन्द्रीय विश्वविद्यालयों/राज्य (सरकारी/निजी) विश्वविद्यालयों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाना आवश्यक नहीं है, परन्तु यदि वे अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद की योजनाओं/कार्यक्रमों का लाभ लेना चाहते हैं तो उनके द्वारा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से अनुमोदन प्राप्त किया जाना अपेक्षित है।

प्रोक्त राजीव कुमार
सदस्य सचिव

Advt. No: Regulation Bureau/AICTE/02(01)/2024

12x18 Cms